UPSR010014512024

न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– (अमित कुमार प्रजापति) – उच्चतर न्यायिक सेवा – UP06330

प्रकीर्ण सिविल अपील संख्या –24/2024

1– दीप कुमार आयु 47 वर्ष पुत्र झींगुर,

निवासी ग्राम अशरफ नगर, परगना व तहसील भिनगा, जिला श्रावस्ती।

2– विश्राम गुप्ता आयु 46 पुत्र हौसीलाल,

निवासी ग्राम लौकिया, परगना चर्दा, तहसील जमुनहा, जिला श्रावस्ती।

––––––––अपीलार्थीगण।

बनाम

1– सुरेन्द्र लाल आयु लगभग 52 वर्ष,

निवासी वीरगंज, दा० पटना परगना चर्दा, तहसील जमुनहा, जिला श्रावस्ती।

2– बजरंगी व्यस्क पुत्र गनेशी,

3– दूबर वयस्क पुत्र गनेशी,

4– श्याम कला वयस्क पत्नी गनेशी,

5– छोटेलाल वयस्क पुत्र लालता,

निवासीगण ग्राम पटना, परगना चर्दा, तहसील जमुनहा, जिला बहराइच।

6– श्रीमती हरिकला वयस्क पत्नी रामसुख,

7– श्रीमती उर्मिला देवी वयस्क पुत्री गुरुबख्श,

निवासी मल्हीपुर, तहसील जमुनहा, जिला श्रावस्ती।

––––––––––प्रत्यर्थीगण।

<u>निर्णय</u>

1– प्रस्तुत प्रकीर्ण सिविल अपील अपीलार्थीगण (मूल वाद के वादीगण) ने मूल वाद संख्या 315/2023, दीप कुमार बनाम सुरेन्द्र लाल श्रीवास्तव की पत्रावली में विद्वान

Digitally signed by AMIT KUMAR PRAJAPATI
Date: 2026.05.25 19:19:23 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सिविल जज (प्रवर खण्ड), श्रावस्ती द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 08.08.2024 के विरूद्ध संस्थित किया है।

2– आक्षेपित आदेश के द्वारा विद्वान अवर न्यायालय ने अपीलार्थीगण (मूल वाद के वादीगण) के प्रार्थना पत्र 6 ग को निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया है। उक्त आक्षेपित आदेश से क्षुब्ध होकर यह प्रकीर्ण सिविल अपील अपीलार्थीगण ने योजित किया है।

3– अपील में अपीलार्थीगण का संक्षिप्त कथन है कि आदेश दिनांकित 08.08.2024 विधि विरुद्ध एवं वास्तविक तथ्यों के विपरीत है। वादीगण ने वाद पत्र की धारा 2 में स्पष्ट अंकित किया है कि प्रश्नगत भूमि को गनेशी पुत्र लालता से पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा क्रय किया गया, जिसके अनुसार खतौनी 1421 से 1426 फसली पर वादी दीप कुमार का नाम अंकित है और पत्रावली में सूची ग 10 पत्रावलित है। इस पर अवर न्यायालय ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वाद पत्र की धारा 3(अ) के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि प्रतिवादी संख्या 1 ने दूबर पुत्र गनेशी से बैनामा लिया है, जिसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि प्रश्नगत भूमि को दूबर के पिता गनेशी पहले ही वादी दीप कुमार को विक्रय करके कब्जा दे चुके हैं। इस तथ्य को अवर न्यायालय ने बिल्कुल भी स्पर्श नहीं किया है। मूल पत्रावली में वादी संख्या 2 का विक्रय पत्र पत्रावलित है, जिसका उल्लेख अवर न्यायालय ने अपने आदेश दिनांकित 04.01.2024 को उल्लिखित किया है। इसके बाद भी प्रार्थना पत्र ग–6 के निस्तारण के समय वादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गए खतौनी एवं विक्रय पत्र तथा वाद पत्र में उल्लिखित विषय वस्तु पर ध्यान न देकर आदेश करने में अपने अधिकारों का उल्लंघन किया है। प्रतिवादी संख्या 1 की तरफ से अपने तथ्यों को साबित करने तथा अपने अभिलेखों की पुष्टि हेतु कोई उपस्थित नहीं रहा बल्कि बहुत पहले से अनुपस्थित चल रहे हैं। इसके बाद भी अवर न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 की आपत्ति एवं अवैध बिक्री पत्र पर विश्वास करके वादीगण का प्रार्थना पत्र ग–6 निरस्त करने में स्थापित नियमों के विपरीत आदेश किया है। वादी द्वारा कराए गए कमीशन रिपोर्ट ए–42 में दिए गए स्थल मानचित्र के अनुसार वादी का कब्जा पाया गया और जो चौहद्दी दी गयी, उसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 का कहीं पर अध्यासन नहीं पाया गया। कमीशन रिपोर्ट में वादी का मकान एवं खाली भूमि पर नींव भरा पाया गया है। कमीशन रिपोर्ट के विरुद्ध प्रतिवादी की तरफ से किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने विक्रय पत्र दिनांकित 29.06.2017 में भूमि की जो चौहद्दी दिया है वह बिल्कुल गलत है। इस चौहद्दी की भूमि को दूबर के पिता

गनेशी लाल ने वादी को दिनांक 14.02.1995 को ही बिक्री करके कब्जा दे दिया था। तद्नुसार वादी का मकान बना हुआ है और सम्पूर्ण भूमि 0.52 हे० पर वादी का कब्जा चला आ रहा है। इन परिस्थितियों में इसी भूमि को गनेशी के लड़के दूबर को बेचने का कोई अधिकार नहीं है। तथाकथित विक्रय पत्र दिनांकित 29.06.2017 शून्य है और प्रतिवादी संख्या 1 का कोई भी अधिकार नहीं बनता है। अवर न्यायालय ने सम्पूर्ण तथ्यों का परिशीलन न करके आदेश पारित करने में गलती किया है। अतः उपर्युक्त तर्कों के आधार पर आदेश दिनांकित 08.08.2024 निरस्त करके प्रार्थना पत्र 6 ग स्वीकार किये जाने की याचना है।

4– अपीलार्थीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची ग–7/1 के माध्यम से आदेश की प्रमाणित नकल, आधार कार्ड की छायाप्रति, फार्मल आदेश दिनांकित 08.08.2024, फोटो स्टेट कमीशन रिपोर्ट, फोटो स्टेट आदेश दिनांकित 04.01.2024, खतौनी फोटो स्टेट व फोटो स्टेट प्रति बैनामा दिनांकित 14.02.1995 पत्रावली में दाखिल किया गया है।

5– प्रत्यर्थी संख्या 1 सुरेन्द्र लाल की ओर से अपील के विरुद्ध आपत्ति इस आशय की प्रस्तुत की गयी है कि विद्वान अवर न्यायालय दवारा पारित आदेश विधिसम्मत है। उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अतिरिक्त कथन में प्रत्यर्थी संख्या 1 ने यह कहा है कि अपीलान्ट द्वारा तथाकथित बैनामा गनेशी पुत्र लालता द्वारा करीब 60 वर्ष पूर्व निष्पादित होना बताया गया है, जिसका नामान्तरण आदेश तथाकथित विक्रेता के जीवनकाल में नहीं करवाया गया। तथाकथित बैनामा अस्पष्ट व उसमें वर्णित शब्द घिसे पिटे व पढ़ने योग्य नहीं हैं। उपर्युक्त बैनामा जानबूझकर विद्वान अवर न्यायालय पर वाद प्रस्तुत करते समय व सुनवाई के दौरान दाखिल नहीं किया गया। सन् 2017 के बाद विपक्षी संख्या 1 की क्रयशुदा जमीन हड़पने की नियत से विधि विरुद्ध तरीके से सम्बन्धित अधिकारियों से साज करके अपना नामान्तरण वाद स्वीकृत करवाने में सफल हो गया जो खतौनी पर केवल दृष्यमान स्वामी है। अपीलान्ट संख्या 1 द्वारा अपने वाद पत्र के कथनानुसार आराजी गाटा संख्या 288 मि० में मात्र 0.052 हे० गनेशी पुत्र लालता क्रय किया जाना बताया गया जबकि गनेशी 0.052 हे० बिक्री करने के पश्चात् भी अच्छा खासा रकबा छोड़कर मृत्यु को प्राप्त हुए थे। गनेशी के मृत्योपरांत उनके पुत्र दूबर उनके विधिक व कानूनी वारिस होने के कारण शेष रकबा की वरासत प्राप्त किया था और उसी आधार पर दिनांक 29.06.2017 को सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर अपने शेष हिस्से से प्रार्थी 0.008 हे० आराजी बिक्री करने का सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त था। प्रार्थी ने अपीलार्थी संख्या 1 के जानिब

तरफ की आराजी क्रय कर कब्जा दखल हक व मालिकाना हैसियत प्राप्त कर लिया था और अपनी क्रयशुदा आराजी पर नींव भी भरवा रखी है। अपीलार्थी संख्या 1 ने जान बूझकर मुकदमें की बहुलता बढ़ाने तथा विपक्षी संख्या 1 को तंग हैरान व डराने के उद्देश्य से बिना किसी अधिकार के स्थगन आदेश प्रभावी रहने के दौरान अपने क्रयशुदा आराजी में से विपक्षी संख्या 1 की चौहद्दी दर्शित कर अपीलार्थी संख्या 2 के पक्ष में बैनामा तहरीर कर दिया है, जिसका कोई उत्तरदायित्व प्रार्थी/आपत्तिकर्ता पर नहीं है और पूर्व में बिक्री कर दी गयी चौहद्दी को दर्शित कर अपीलार्थी संख्या 1 ने अपीलार्थी संख्या 2 को किया गया बैनामा बेइमानी पूर्वक व कपटपूर्ण है। आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत कागजात/साक्ष्य के विरुद्ध अपीलार्थी अवर न्यायालय में कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका, जिससे अपीलार्थी के पक्ष में अवर न्यायालय द्वारा संलग्न आदेश बरकरार रखा जावे। इसलिये अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 08.08.2024 सही व दुरुस्त है। कमीशन रिपोर्ट में आपत्तिकर्ता की क्रयशुदा आराजी पर अपीलार्थीगण का कोई कब्जा नहीं बताया गया है तथा आपत्तिकर्ता की नींव भरी होने की बात कही गयी है। इसलिये प्रस्तुत अपील में कोई बल नहीं है। वादी/अपीलार्थी संख्या 1 ने अवर न्यायालय पर अपने वाद पत्र के साथ जो नक्शा नजरी प्रस्तुत किया गया, उसके उत्तर से दक्षिण 72.5 इंच व पश्चिम से पूरब 77 फिट की वादग्रस्त आराजी दर्शित है। जबकि अपीलार्थी संख्या 1 द्वारा अपने तथाकथित बैनामा में क्रयशुदा आराजी की पैमाइश का कोई वर्णन नहीं है और न ही चौहद्दी का वर्णन है, जिससे यह साबित है कि अपीलार्थी संख्या 1 का वाद पत्र के साथ नक्शा नजरी में दर्शित लम्बाई चौड़ाई मनमाना व बेइमानीपूर्वक है जबकि आपत्तिकर्ता ने अपने बैनामें में चौहद्दी दर्शित करवाई है और अपनी दर्शित चौहद्दी के अनुसार नींव भरवाकर काबिज है। आपत्तिकर्ता ने आराजी गाटा संख्या 288 रकबा 0.008 हे० आवासीय उद्देश्य हेतु क्रय किया था, जिस पर मकान निर्मित करवाकर रहना चाहता है, किन्तु अपीलार्थी संख्या 1 के द्वारा अवर न्यायालय द्वारा झूठे एवं बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर एक पक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त कर लेने के कारण मकान निर्माण का कार्य लम्बे समय से रुका हुआ है और आपत्तिकर्ता अपने परिवार सहित किराए के मकान पर रहने को विवश है। यदि अपीलार्थीगण की आराजी कम पड़ रही है, तो उन्हें विक्रेता गनेशी के पुत्र की आराजी अभी शेष है उसे लेनी चाहिए या हल्का लेखपाल व राजस्व निरीक्षक की मदद से अपना रकबा पूरा करवाकर अपनी समस्या का निस्तारण करवा सकता है। अतः उपर्युक्त तर्कों के आधार पर अपील निरस्त किये जाने की याचना है।

6– अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस आधार अपील यह लिया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति अपीलार्थीगण के पक्ष में है। विद्वान अवर न्यायालय ने बिना न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग किए एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों का सम्यक अवलोकन किये बिना आलोच्य आदेश पारित किया है, जिसे निरस्त करते हुये प्रार्थना पत्र 6 ग स्वीकार किये जाने की याचना है।

7– प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश सही एवं तर्कपूर्ण है। उस पर अपीलार्थीगण का कोई कब्जा नहीं है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील निरस्त किये जाने की याचना है।

7– अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

8– अपीलार्थीगण (वादीगण) ने विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र 6 ग में संक्षेप में यह कथन किया है कि वादी विवादित भूमि गाटा संख्या 288 रकबा 0.052 हे०, जिसे मानचित्र में अक्षर अ,ब,स,द से दर्शाया गया है, स्थित ग्राम पटना परगना चर्दा तहसील जमुनहा, जनपद श्रावस्ती का स्वामी है, जिसे वादी ने पूर्व मालिक गनेशी लाल से जरिये बैनामा क्रय किया है। विवादित भूमि का कुछ अंश खाली पड़ा है तथा कुछ पर तीन कमरा पक्का मकान निर्मित है। प्रतिवादी संख्या 1 का विवादित भूमि से कोई वास्ता व सरोकार नहीं है, परन्तु वह अवैधानिक ढंग से उस पर कब्जा करके निर्माण कर लेना चाहता है, जिसके लिये वह ईंट, बालू व मोरंग आदि सामग्री इकट्ठा किये है। प्रथम दृष्टया वाद, सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति वादी के पक्ष में है।

प्रत्यर्थीगण (प्रतिवादी) की ओर से आपत्ति 26 ग प्रस्तुत करते हुये यह कहा गया है कि वादी का प्रथम दृष्टया केस नहीं है। सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में नहीं है। अस्थायी निषेधाज्ञा न मिलने से वादी को कोई अपूर्णनीय क्षति नहीं है। वाद पत्र के साथ दाखिल नक्शा नजरी गलत है। वादी ने असत्य तथ्यों के आधार पर झूठा दावा दायर किया है। प्रतिवादी संख्या 1 गाटा संख्या 288 का सह खातेदार है। प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 3 दूबर से गाटा संख्या 288 रकबा 0.008 हे० जरिये पंजीकृत बैनामा क्रय किया है। वादी ने गलत चौहद्दी दर्शायी है। वादी ने जो भूमि गनेशीलाल से बैनामा लिया था, उस पर उसका पुख्ता निर्माण है। उसके मकान का निकास पूरब तरफ है। पश्चिम तरफ

प्रतिवादी संख्या 1 की क्रय की हुई भूमि है, जिसे हड़पने के लिये वादी ने दावा दायर किया है।

9– इस प्रकीर्ण सिविल अपील के निस्तारण हेतु मुख्य अवधार्य बिन्दु निम्नलिखित है –

1– क्या प्रथम दृष्टया वाद, सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति अपीलार्थी (वादी) के पक्ष में है?

2– अनुतोष?

<u>निस्तारण अवधार्य बिन्दु संख्या 1–</u>

10– यह अवधार्य बिन्दु इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या प्रथम दृष्टया वाद, सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति अपीलार्थी (वादी) के पक्ष में है?

11– अपीलार्थीगण जो कि मूल वाद के वादीगण हैं, ने वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शा नजरी में विवादित भूमि को अक्षर अ,ब,स,द से प्रदर्शित किया है, जिसकी भुजाओं की माप भी अंकित की है तथा चौहद्दी भी अंकित की है। वादीगण की ओर से वाद पत्र के नक्शा नजरी में दर्शायी गयी विवादित भूमि को जरिये बैनामा उसके मूल खातेदार गनेशी लाल पुत्र लालता से क्रय किया जाना बताया है तथा वादीगण के पक्ष में विक्रीत भूमि का क्षेत्रफल 0.052 हे० बताया है तथा आराजी गाटा संख्या 288 बताया है। वादी संख्या 2 विवादित भूमि के कुछ हिस्से का पश्चातवर्ती क्रेता है। अपने कथन को साबित करने के लिये वादीगण ने नकल खतौनी और नकल खसरा क्रमशः कागज संख्या 10 ग व 11 ग दाखिल किया है। नकल खतौनी कागज संख्या 10 ग यह स्पष्ट करता है कि गाटा संख्या 288 के कई खातेदार हैं, जिनमें से वादी दीप कुमार भी एक खातेदार है। गाटा संख्या 288 का कुल रकबा 0.5220 हे० है जबकि वादी दीप कुमार ने केवल रकबा 0.052 हे० खातेदार गनेशी लाल से क्रय किया है। वादी दीप कुमार ने विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष गनेशी लाल द्वारा वादी को किये गये बैनामें की सत्य प्रतिलिपि अथवा मूल दाखिल नहीं किया है, जिससे यह स्पष्ट नहीं होता कि वाद पत्र में जो विवादित भूमि वादी पक्ष द्वारा दर्शायी गयी है वही भूमि वादी दीप कुमार ने गनेशी लाल से क्रय किया है। प्रत्यर्थी संख्या 1 (प्रतिवादी संख्या 1) की ओर से यह आपत्ति की गयी है कि उसने भी गाटा संक्या 288 की भूमि में से रकबा 0.008 हे० मृतक गनेशी लाल के वारिसान दूबर से क्रय किया है, जिस पर उसने पक्की नींव भी भरवा रखी है। वादी उसकी भूमि को हड़पना चाहता है इसलिये गलत चौहद्दी दर्शाकर दावा प्रस्तुत किया है, इसीलिये उसने विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष अपना मूल बैनामा प्रस्तुत नहीं किया। अपने कथनों को स्पष्ट करने के लिये प्रतिवादी संख्या 1 ने खतौनी

कागज संख्या 30 ग/1 व बैनामें की प्रति कागज संख्या 30 ग/2 विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिससे यह स्पष्ट है कि गाटा संख्या 288 की भूमि में से 0.008 हे० भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ने क्रय किया है, जिसकी चौहद्दी बैनामें में अंकित है। प्रतिवादी संख्या 1 की इस बैनामें की चौहद्दी, वादी द्वारा वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शा नजरी में दर्शायी गयी विवादित भूमि की चौहद्दी से तीन तरफ से मेल खाती है। इससे स्पष्ट होता है कि वादी ने जिस भूमि को विवादित बताया है उस भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 ने खातेदार दूबर से क्रय किया है। चूंकि वादी द्वारा बैनामें की प्रति दाखिल नहीं की गयी है , जिससे प्रथम दृष्टया यह साबित नहीं होता कि वादी द्वारा जो वाद पत्र में विवादित भूमि दर्शायी गयी है उसके मालिक वादी पक्ष हैं। चूंकि वादी पक्ष एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनों ही बैनामें से विवादित भूमि को क्रय किया जाना बताते हैं तथा खतौनी में दोनों ही पक्ष का नाम सह खातेदार के रूप में दर्ज है। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष बैनामें की सत्य प्रतिलिपि या मूल दाखिल न करने से प्रथम दृष्टया केस वादी का वाद पत्र के नक्शा नजरी में दर्शायी गयी विवादित भूमि के सम्बन्ध में साबित नहीं होता है। चूंकि प्रथम दृष्टया केस वादी का नहीं है अतः वादी के पक्ष में निषेधाज्ञा जारी न करने से वादी पक्ष को कोई असुविधा भी नहीं है और न ही उसे किसी प्रकार की अपूर्णनीय क्षति कारित होने की सम्भावना है।

तद्नुसार अवधार्य बिन्दु संख्या 1 नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

<u>निस्तारण अवधार्य बिन्दु संख्या 2–</u>

12– यह अवधार्य बिन्दु अनुतोष से सम्बन्धित है। अवधार्य बिन्दु संख्या 1 के निष्कर्ष के प्रकाश में स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र 6 ग पर विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश वाद के तथ्य एवं परिस्थितियों के अनुरूप पूर्णतया विधिपूर्ण एवं न्यायसंगत है, उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलार्थी (वादी) पक्ष किसी भी अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश को पारित करने में किसी प्रकार की विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि कारित नहीं की गयी है। अतः अपील में कोई बल नहीं है।

13– उपर्युक्त विवेचना एवं विश्लेषण तथा अवधार्य बिन्दुओं के निष्कर्षों के प्रकाश में प्रस्तुत प्रकीर्ण सिविल अपील निरस्त होने योग्य है तथा विद्वान अवर न्यायालय का आक्षेपित आदेश पुष्ट होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

14– प्रस्तुत प्रकीर्ण सिविल अपील संख्या–24/2024 निरस्त की जाती है।

विद्वान अवर न्यायालय द्वारा मूल वाद संख्या–315/2023 की पत्रावली में पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 08.08.2024 पुष्ट किया जाता है। उभय पक्ष अपना–अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

उभय पक्ष विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष दिनांक 03.07.2026 को अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित हो।

आदेश की प्रति के साथ विद्वान अवर न्यायालय की पत्रावली प्रति प्रेषित की जाये।

दिनांक 25.05.2026 **(अमित कुमार प्रजापति)**

अपर जनपद न्यायाधीश, श्रावस्ती।

उपर्युक्त निर्णय व आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक 25.05.2026 **(अमित कुमार प्रजापति)**

अपर जनपद न्यायाधीश, श्रावस्ती।